

462
4:30 pm

संख्या - 140/XXXIV/2015/15/2008 पार्ट-2

प्रेषक,

एन0 रवि शंकर,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3. एस0आई0ओ0,
एन0आई0सी0,
देहरादून।

2. निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 21 मार्च, 2015

विषय:-ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -377/XXXIV/2013/15/2008 दिनांक 21.10. 2013 द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों के शुल्क निर्धारण तथा व्यय के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किये गए हैं।

2. सन्दर्भगत विषय में विभिन्न विभागीय सेवाओं के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले विभिन्न कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों एवं अन्य G2C (Government to citizen) हेड से ली जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सन्दर्भित शासनादेश संख्या -377/XXXIV/2013/15/2008 दिनांक 21.10. 2013 को अतिक्रमित करते हुये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं:-

DeGS / CSC Service Charges and Revenue Sharing (proposed charges)						
Sl. No.	Type of Service	Service Charges to citizen (in Rs)	Revenue Sharing			
			DeGS (e-District) /VLE	ITDA	CSC SPV	User Department
1	Receipt of Utility Payments i) Electricity Bill ii) Water Bill iii) Telephone / Mobile Bill iv) Municipal Taxes	0	3.20	0.40	0.40	(-) 4

स्टायरी नं० NIC-810/11-1-2015

2	Acceptance of application for: i) Issuance of certificate ii) Social Welfare Schemes iii) Ration Card Services iv) Govt. Compensation Scheme v) Benefits under state Govt. Schemes	30	24	3	3	0
3	Issuance of RoR	Rs 20 for 1 st page and Rs 5 per page for subsequent pages	For single page RoR Rs 16	2	2	0
			For multiple page RoR First Page - Rs 16	2	2	0
			Each additional page - Rs 4	0.50	0.50	0
4	Issue of e-Stamps	10	8	1	1	0
5	Payment of Govt. Taxes/Fees/Challan	10	8	1	1	0
6	Information Service with printout (one page) / Digital Life certificate	Rs 10 per page	8	1	1	0

3. नागरिकों को दी जाने वाली उक्त सेवाओं हेतु प्राप्त शुल्क का विभाजन सी0एस0सी0-एस0पी0वी0 के वेलट के माध्यम से सम्बन्धित संस्थाओं के मध्य किया जायेगा। सी0एस0सी0-एस0पी0वी0 से यूजर विभाग व सम्बन्धित संस्थाओं का एकीकरण आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से किया जायेगा।
4. DeGS के पास इस प्रकार की जमा धनराशि का व्यय शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित मदों में किया जायेगा तथा इन मदों में एक लाख से अधिक की अधिप्राप्ति में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/आई0टी0डी0ए0 का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा।
5. आई0टी0डी0ए0 (स्टेट नोडल एजेंसी) के पास जमा धनराशि को स्वान नेटवर्क के अनुरक्षण एवं बैडविड्थ पर व्यय तथा राज्य डाटा सेन्टर के अनुरक्षण पर व्यय किया जायेगा।
6. समस्त अधिप्राप्तियां उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जायेगी।
7. सोसाइटी के लेखों का ऑडिट वित्त विभाग द्वारा शासनदेश संख्या-495/XXXVII (11)/2012 दिनांक 26.11.2012 तथा इसके अनुक्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार किया जायेगा।
यह आदेश वित्त विभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या- 840.../XXXVII(2)/2015 दिनांक 30.03.2015 से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।
संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रवि शंकर)
मुख्य सचिव।

संख्या 140/XXXIV/2015/15/2008 पार्ट-2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, आईटीडीए, देहरादून।
5. एसआईओ, एनआईसी, उत्तराखण्ड इकाई, देहरादून को स्टेट पोर्टल पर प्रकाशित करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)


अपर सचिव।

21.03.

Annexure of GO No. 140 /XXXIV/2015/15/2008 dated ----2015

Various Expenditure Heads under which the funds (collected through user charges) can be utilized at District Level by DeGS only for the "e-District Center"

1. Towards Comprehensive Annual Maintenance (AMS) of following computer hardware and other equipment (after the expiry of warranty period), in consultation with State Nodal Agency (ITDA/ Department of IT) NIC.
 - Computer Server
 - Computer Clients
 - Laser Printers
 - Scanner
 - External CD-writer/DVD-writer
 - Switches for network
 - Bio-Metric Devices
 - UPS
 - Genset or Generator
 - Air-Conditioner and its stabilizer
 - CVT/Servo-Stabilizer
2. Procurement/repair of following computer consumables as per actual requirements of the e-District Center.
 - CDs/DVDs (blank)
 - 1 Pen-drive per center
 - Printer Toner Cartridges of Laser Printers
 - Network/cables or Patch cords, Networking Equipment
 - A-4/legal size white papers for computer print outs
3. Procurement of SMF Batteries after the expiry of warranty period and failure of existing batteries of UPS's
4. Binding of Books of Accounts.
5. Maintenance of electrical items of the " e-District Center," towards;
 - Repair of electricity wiring (including Generator line) and electrical points/ceiling fan.
 - Procurement and repair of extension boards, if necessary.
 - Earhpit refilling/recharging beyond initial guarantee period.
6. Civil maintenance works in ""e-District Center" towards repairs, White washing & painting (once every 2 years)
7. On procurement of any equipment duly advised/recommended by State Nodal Agency (ITDA)/Department of IT).
8. Towards Salary/fee of manpower engaged for day to day operations of the e-District center. The number of such manpower/duration of engagement/qualifications and charges shall be governed by the advisory from State Nodal Agency (ITDA/Department of IT).
9. Payment of electricity bill only of the "e- District Center".


(Arunendra Singh Chauhan)
Additional Secretary